15 /c

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डाक विभाग
कार्यालय चीफ पोस्टमास्टर जनरल, उत्तर प्रदेश परिमण्डल, लखनऊ–226001
पोस्टमैन / मेल गार्ड / मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम.टी.एस.) के पदों की सीधी भर्ती

विज्ञप्ति संख्याः भर्ती / एम–12 / पी0एम0–एम0जी0 व एम0टी0एस0 / डी0आर0 / 2013 / 6 लखनऊ, दिनांक 14–05–2015

उत्तर प्रदेश परिमण्डल के डाकघरों, रेल डाक व्यवस्था तथा प्रशासनिक इकाइयों में, पोस्टमैन, मेल गार्ड तथा मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम.टी.एस.) के पदों को भरने के लिए, शिड्यूल **'ए'** में दिए गए विवरण के अनुसार इच्छुक तथा योग्य भारतीय आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

2. नियुक्त अभ्यर्थियों पर वर्तमान में चल रही नई पेन्शन योजना लागू होगी।

3. पद का नाम, आयु सीमा तथा वेतन बैण्ड व ग्रेड वेतन का विवरण निम्नवत हैः –

पद का नाम	आयु सीमा तथा छूट	वेतन बैण्ड व ग्रेड वेतन	वर्गीकरण
पोस्टमैन एवं मेल गार्ड	दिनांक 30.06.2015 को 18–27 वर्ष । (केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार अ0जा0 / अ0ज0जा0 के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्षो तक की छूट, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारो के लिए 3 वर्षों तक की छूट तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक की आयु)।	**वेतन बैंड–1:** रू0 5200–20200+ग्रेड वेतन रू0 2000 / –	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित, अनुसचिवीय)
मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम.टी.एस.) (प्रशासनिक कार्यालय) / मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम.टी.एस.) (अधीनस्थ कार्यालय)	दिनांक 30.06.2015 को 18–27 वर्ष। (केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार अ0जा0 / अ0ज0जा0 के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्षो तक की छूट, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारो के लिए 3 वर्षों तक की छूट तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक की आयु)।	**वेतन बैंड–1:** रू0 5200–20200 + ग्रेड वेतन रू0 1800 / –	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग'(अराजपत्रित, अननुसचिवीय)

3.1. विकलांग व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों हेतु 15 वर्ष, पिछड़ी जातियों के अभ्यर्थियों हेतु 13 वर्ष एवं सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष होगी।

3.2. भूतपूर्व सैनिको हेतु आयु सीमा की गणना के लिए निर्णायक तिथि को आवेदक की वास्तविक आयु से सेना में की सेवा की अवधि को (सैन्य सेवा में निरंतर सेवा 6 माह से कम न हो) घटाने के पश्चात ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष (अ0ज0 / अ0ज0जा0 वर्ग के विकलांग रक्षा सेवा कर्मियों के मामले में 8 वर्ष) की छूट होगी।

3.3. आयु सीमा की गणना के लिए निर्णायक तिथि :– आयु सीमा के निर्धारण के लिए गणना की निर्णायक तारीख **30.06.2015** होगी ।

14-5

4. **रिक्तियों की संख्या :–**

कम संख्या	पद का नाम	कुल रिक्तियाँ	अना0	वर्टिकल आरक्षण			हॉरिजंटल आरक्षण			
				अ0जा0	अ0ज0जा0	अ0पि0व0	शा0वि0–I (बी/एल.वी)	शा0वि0–II (एच.एच.)	शा0वि0–III (ओ.ए./ओ.एल.)	भू0पू0 सैनिक
1	पोस्टमैन	602	390	91	10	111	6	6	6	60
2	मेल गार्ड	20	12	1	0	7	0	0	0	1
3	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम.टी.एस.) (प्रशासनिक कार्यालय)	42	28	3	1	10	0	0	0	3
4	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम.टी.एस.) (अधीनस्थ कार्यालय)	268	148	40	9	71	2	3	2	26

(अना0–अनारक्षित, अ0जा0–अनुसूचित जाति, अ0ज0जा0–अनुसूचित जनजाति, अ0पि0व0–अन्य पिछडा वर्ग, शा0वि0–शारीरिक विकलांग, बी–ब्लाइंड (अंधापन), एल.वी.–लो विजन(कम दृष्टि), एच.एच.–हियरिंग हैण्डीकैप्ड(कम सुनाई देने की निःशक्तता), ओ.ए.–वन आर्म (एक बांह से प्रभावित), ओ.एल.–वन लेग (जिनका एक पैर खराब हो), भू0पू0 सैनिक– भूतपूर्व सैनिक

नोट–

1. मण्डलवार रिक्तियों की संख्या का विवरण संलग्न शिड्यूल–ए में दर्ज है।
2. रिक्तियों की संख्या बिना किसी पूर्व सूचना के अथवा बिना कोई कारण बताये परिवर्तित हो सकती है।
3. भूतपूर्व सैनिक व शारीरिक विकलांग श्रेणी की रिक्तियों का समायोजन, चयनित अभ्यर्थियों की श्रेणियों जैसे अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसा भी मामला हो, के अनुसार किया जायेगा।
4. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का.शा. सं. 36036/2/2013-स्था. (आर.इ.एस.) दिनांक 30-05-2014 द्वारा निर्धारित प्रारूप में (प्रारूप संलग्न शिड्यूल–सी में उपलब्ध है।) भारत सरकार द्वारा सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन हेतु निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत सरकार के एम.एच. ए.शा.सं. 42/21/49-एन.जी.एस. दिनांक 28-01-1952 एवं डी.ओ.पी.एण्ड ए.आर. पत्रांक 36012/6/76-स्था. (एस. सी.टी.) दिनांक 29.10.1977 द्वारा संशोधित में निहित आदेशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में (प्रारूप संलग्न शिड्यूल–डी में उपलब्ध है।) भारत सरकार द्वारा सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन हेतु निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए।
6. फिजकली हैण्डीकैप्ड आवेदक प्रीडामिनेन्ट डिसएबिलिटी के लिए निर्धारित छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आवेदक के पास भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का.शा.सं. 36035/3/2004 स्था. (आर.इ.एस.) दिनांक 29-12-2005 द्वारा निर्धारित प्रारूप (प्रारूप संलग्न शिड्यूल–ई में उपलब्ध है।) में भारत सरकार द्वारा सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन हेतु सक्षम मेडिकल प्रधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए।

5. **<u>शारीरिक विकलांगता में छूट प्राप्त करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों का वर्गीकरण</u>** :

5.1 (1) **अंधापन** (बी): अंधापन का अभिप्राय जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थियों से ग्रसित हों

(क) दृष्टि का पूर्ण अभाव, अथवा

(ख) बेहतर ऑख में दृष्टि सुधारने वाले लेंसों के साथ दृष्टि–विमलता 6/60 अथवा 20/200 (स्नेलैन) से अनधिक, अथवा

(ग) दृष्टि क्षेत्र की सीमा जिससे 20 डिग्री का कोण व्याप्त हो अथवा इससे बदतर,

(2) **न्यून दृष्टि (एल.वी)** : 'कम दृष्टि वाले वह व्यक्ति' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी दृष्टिक–क्रिया उपचार के अथवा मानक परावर्तित सुधार करवाने के बाद भी खराब हो परन्तु जो समुचित सहायक यंत्र से किसी काम की योजना बनाने अथवा उसे निष्पादित करने में दृष्टि का प्रयोग करता हो अथवा उसका प्रयोग करने में संभावनीय रूप से समर्थ हो।

5.2 **कम सुनाई देने की निःशक्तता (एच.एच.)**: 'कम सुनाई देने की निःशक्तता' से बेहतर कान में बातचीत स्वरूप की श्रेणी की आवृत्तियों में 60 डेसिबल अथवा उससे अधिक का लोप अभिप्रेत है।

5.3 (1) **चलने–फिरने की निःशक्तता** : 'चलने–फिरने की निःशक्तता' से हड्डियों, जोड़ों अथवा मांस पेशियों की निःशक्तता अथवा किसी भी तरह का प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फालिज) अभिप्रेत है जिससे अंगों के हिलने–डुलने में अत्यधिक बाधा हो।

(2) **प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फालिज)**: ' प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फालिज)' से किसी व्यक्ति की गैर–विकासोन्मुख स्थितियों का समूह अभिप्रेत है जो, जन्म् से पूर्व, जन्म् के आस–पास अथवा विकास की आरम्भिक अवधि में घटित मस्तिष्क – आघात अथवा चोटों के परिणामस्वरूप चलने–फिरने की असामान्य नियन्त्रण–भंगिमा के रूप में परिलक्षित होता है।

(3) **शारीरिक रूप से विकलांग (ओ.एच.) लोगों के सभी मामले, 'चलने–फिरने की निःशक्तता' अथवा 'प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फालिज)' की श्रेणी के अन्तर्गत आयेगें।**

इन पदो पर आरक्षण के लिए केवल ऐसे व्यक्ति ही पात्र होगें जो कम से कम 40 प्रतिशत सगंत निःशक्तता से ग्रस्त हों। निम्न प्रकार के शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी ही इन पदों के लिए उपयुक्त होंगे :–

(I) एक बांह से प्रभावित (ओ.ए.)
(II) जिनका एक पैर खराब हो (ओ.एल.)

6. **निरर्हता** :– वह व्यक्ति –
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र नही होगा : परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

7. **<u>शैक्षिक योग्यता</u>** :–

(1)	पोस्टमैन पद हेतु	– मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से मैट्रीकुलेशन
(2)	मेल गार्ड पद हेतु	– मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से मैट्रीकुलेशन या समकक्ष
(3)	प्रशासनिक कार्यालयों में एमटीएस पद हेतु	– मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समकक्ष अथवा आई.टी.आई.
(4)	अधीनस्थ कार्यालयों (डाकघरों और रेल डाक सेवा कार्यालयों) में एमटीएस पद हेतु	– मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन अथवा आई.टी. आई.

8 **आवेदन का तरीका** :– इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।

8.1 **<u>ऑनलाइन आवेदन</u>** :

(1) आवेदक को इन्टरनेट सुविधा से युक्त, वर्क स्टेशन अथवा कम्प्यूटर अथवा लैपटाप के द्वारा वेबसाइट **www.indiapost.gov.in** पर उपलब्ध लिंक "Postman/Mailguard/MTS Recruitment Examination-2015-U.P. Circle " पर क्लिक करना होगा। ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा दिनांक 01.06.2015 को 16.00 बजे से प्रारम्भ होगी तथा दिनांक 30.06.2015 को 23.59 बजे बन्द हो जायेगी।

(2) आवेदक आवेदन पत्र भरने से पूर्व नोटीफिकेशन, आवेदकों के लिए निर्देश, रिक्तियां तथा अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.) सावधानी पूर्वक अवश्य पढ़ लें।

(3) आवेदक आवश्यकतानुसार निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करें।

APPLICATION FORM FOR POSTMAN/MAIL GUARD

APPLICATION FORM FOR MTS (ADMINISTRATIVE OFFICES)/MTS (SUBORDINATE OFFICES)

(4) आवेदक पोस्टमैन अथवा मेल गार्ड में से किसी एक पद के लिए ही आवेदन करेगा क्योंकि पोस्टमैन एवं मेलगार्ड पदों के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन एक ही दिनांक और समय पर किया जायेगा। अतः एक अभ्यर्थी या तो पोस्टमैन पद के लिए अथवा मेलगार्ड पद के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट में सम्मिलित हो सकता है।

(5) आवेदक एम.टी.एस. (प्रशासनिक कार्यालय) एवं एम.टी.एस.(अधीनस्थ कार्यालय) में से किसी एक पद के लिए ही आवेदन करेगा क्योंकि एम.टी.एस. (प्रशासनिक कार्यालय) एवं एम.टी.एस.(अधीनस्थ कार्यालय) पदों के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन एक ही दिनांक और समय (जो पोस्टमैन/मेलगार्ड पद के लिए आयोजित होने वाले एप्टीट्यूड टेस्ट की तारीख से भिन्न होगी) पर किया जायेगा। अतः एक अभ्यर्थी या तो एम.टी.एस. (प्रशासनिक कार्यालय) पद अथवा एम.टी.एस.(अधीनस्थ कार्यालय) पद के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट में सम्मिलित हो सकता है।

(6) ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक निम्न अभिलेख तैयार रखेगा –
(1) आवेदक के फोटो एवं हस्ताक्षर की स्कैन की हुई यथा निर्देशित फाइल साइज की इमेज।
(2) मैट्रीकुलेशन/मैट्रीकुलेशन के समकक्ष/आई.टी.आई. का अंक पत्र।

(7) आवेदक ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थानों पर विवरण सावधानीपूर्वक भरेगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र के अंत में **Submit button** पर क्लिक करेगा। आवेदक को सलाह दी जाती है कि Submit button पर क्लिक करने से पहले वे सभी प्रविष्टियों की सत्यतता की सावधानीपूर्वक जांच अवश्य कर लें। आवेदक का नाम, पिता का नाम आदि की वर्तनी (spelling)आवेदन पत्र में सही – सही अंकित करें जैसा कि उनके मैट्रीकुलेशन प्रमाण पत्र/मार्कशीट में दर्शाया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने के पश्चात किसी भी परिवर्तन की अनुमति नही दी जायेगी। बाद में किसी प्रकार का परिवर्तन/बदलाव पाये जाने पर आवेदक अभ्यर्थन के अयोग्य माना जा सकता हैं।

(8) आवेदक को सलाह दी जाती है कि वह ऑनलाइन आवेदन एक बार में भरकर डाटा सुरक्षित (Save) कर ले। आवेदक आवेदन पत्र अंतिम रूप से Submit करने से पहले विवरण में बदलाव कर सकता है। आवेदन पत्र पूर्णरूप से भरने के पश्चात उसे Submit कर देगा।

(9) आवेदक यह नोट कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गये विवरण अंतिम माने जायेगें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने के पश्चात किसी भी परिस्थिति मे किसी भी प्रकार के परिवर्तन/बदलाव/त्रुटि सही करने की अनुमति नही दी जायेगी।

(10) सफलतापूर्वक पंजीकरण होने के पश्चात सिस्टम द्वारा एक प्राविजनल Unique Registration Number (URN) जारी किया जायेगा जो कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिखायी देगा। आवेदक को रजिस्ट्रेशन नम्बर की सूचना आवेदन पत्र में दिये गये मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. द्वारा तथा आवेदन पत्र में दिये गये ई.मेल एड्रेस पर ई.मेल भेजकर दी जायेगी। तत्पश्चात आवेदक फीस के भुगतान के लिए सिस्टम द्वारा चालान की तीन प्रतियां जनरेट करेगा।

(11) आवेदक सिस्टम द्वारा जनरेट की गई फीस पेमेन्ट भुगतान चालान का प्रिन्ट आउट लेगा। आवेदक भविष्य के संदर्भ के लिए चालान की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेगा।

(12) **फीस भुगतान का तरीका** : फीस का भुगतान नकद रूप में उत्तर प्रदेश परिमण्डल के ई–पेमेन्ट की सुविधा से युक्त चिन्हित डाकघरों में निम्नवत किया जायेगा (चिन्हित डाकघरों की सूची शिड्यूल–बी में संलग्न है।):–

पद का नाम	अभ्यर्थियों की श्रेणी	पंजीकरण शुल्क	परीक्षा शुल्क	कुल शुल्क
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
पोस्टमैन/मेलगार्ड	अ0जा0/अ0ज0जा0/शा0वि0/महिला अभ्यर्थी	100	....	100
	सामान्य तथा अ0पि0वर्ग अभ्यर्थी	100	400	500
मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम.टी.एस.) (प्रशासनिक कार्यालय)/ मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम.टी.एस.) (अधीनस्थ कार्यालय)	अ0जा0/अ0ज0जा0/शा0वि0/महिला अभ्यर्थी	100	...	100
	सामान्य तथा अ0पि0वर्ग से अभ्यर्थी	100	400	500

(13) अ0जा0/अ0ज0जा0/शा0वि0/महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क रू0 400/– के भुगतान से छूट दी गई है।

(14) अना0/अ0पि0व0 वर्ग के अभ्यर्थी रू0 500/– का भुगतान करेगें तथा उन्हें रू0 500/– की ई–पेमेन्ट की रसीद डाकघर से प्राप्त होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग/महिला अभ्यर्थी रू0 100/– का भुगतान करेगें तथा उन्हें रू0 100/– की ई–पेमेन्ट की रसीद डाकघर से प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह अवश्य जॉच ले कि उनके चालान फार्म पर अंकित रजिस्ट्रेशन संख्या एवं ई–पेमेन्ट रसीद पर अंकित संख्या समान है।

(15) पंजीकृत आवेदक निर्धारित फीस की रकम सिस्टम द्वारा जनरेट किये गये चालान के माध्यम से दिनांक 03.07.2015 या उससे पूर्व अवश्य जमा कर दें। आवेदक उत्तर प्रदेश परिमण्डल के ई–पेमेन्ट सुविधायुक्त चिन्हित डाकघरों (चिन्हित डाकघरों की सूची शिड्यूल–बी में संलग्न है।) में कार्यकाल के दौरान प्रिन्ट किये गये फीस चालान फार्म के साथ फीस की रकम नकद रूप में जमा करें। फीस जमा न होने की स्थिति में पंजीकृत किये गये आवेदन पत्रों पर अगली कार्यवाही के लिए विचार नही किया जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे फीस चालान की एक प्रति, डाकघर द्वारा जारी की गई रसीद एवं आवेदन पत्र की प्रति भविष्य में संदर्भ के लिए अपने पास सुरक्षित रखें।

(16) एक बार जमा किया गया मूल्य/शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

(17) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने फोटों एवं हस्ताक्षरों के अलावा, किसी प्रकार का प्रमाण पत्र/अभिलेख संदर्भ अपलोड न करें। ऑनलाइन पंजीकरण किये गये आवेदन पत्र प्रॉविजनल होगें तथा चयन/नियुक्ति मूल प्रमाण पत्र/अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर की जाएगी। आवेदक को यह भी घोषणा करनी होगी कि उसके द्वारा दिये गये सभी कथन/प्रविष्टियॉ उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है और आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर मूल अभिलेखों से इनकी पुष्टि की जा सकेगी। यदि किसी भी स्तर पर उसके द्वारा दी गई सूचना असत्य/ गलत पाई जाती है तो उसका अभ्यर्थन/नियुक्ति सरसरी तौर पर निरस्त/समाप्त कर दी जायेगी। आवेदक के लिए यह अनिवार्य होगा कि आवेदन पत्र का पंजीकरण कराते समय एवं उसे Save/Upload करते समय उक्त घोषणा के चेक बॉक्स पर अवश्य टिक (Tick) करें।

(18) आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तारीख :– ऑनलाइन आवेदन का पंजीकरण दिनांक 30.06.2015 को 23.59 बजे बन्द किया जायेगा।

8.2 **ऑफलाइन आवेदनः–**

(1) आवेदक को उत्तर प्रदेश परिमण्डल के चिन्हित डाकघरों से ओ.एम.आर. आवेदन पत्र किट खरीदनी होगी। (चिन्हित डाकघरों की सूची शिड्यूल–बी में संलग्न है)

(2) ओ.एम.आर. आवेदन पत्रों का विक्रय उत्तर प्रदेश परिमण्डल के चिन्हित डाकघरों में दिनांक 01.06.2015 से 30.06.2015 तक किया जायेगा।

(3) **ओ.एम.आर. आवदेन पत्र किट का मूल्य तथा परीक्षा शुल्क** :–

पद का नाम	अभ्यर्थियों की श्रेणी	ओ.एम.आर. आवेदन फार्म किट का मूल्य	परीक्षा शुल्क	कुल शुल्क
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड.)
पोस्टमैन / मेलगार्ड	अ0जा0 / अ0ज0जा0 / शा0वि0 / महिला अभ्यर्थी	100	....	100
	सामान्य तथा अ0पि0वर्ग अभ्यर्थी	100	400	500
मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम.टी.एस.) (प्रशासनिक कार्यालय) / मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम.टी.एस.) (अधीनस्थ कार्यालय)	अ0जा0 / अ0ज0जा0 / शा0वि0 / महिला अभ्यर्थी	100	...	100
	सामान्य तथा अ0पि0वर्ग से अभ्यर्थी	100	400	500

(4) ओ.एम.आर. आवेदन फार्म किट खरीदने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश परिमण्डल के चिन्हित डाकघरों में (चिन्हित डाकघरों की सूची शिड्यूल–बी में संलग्न है।) ई–पेमेन्ट के माध्यम से, किट का मूल्य रू0 100/–(सभी अभ्यर्थियों के लिए) एवं परीक्षा शुल्क रू0 400/–(केवल अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए) जमा करना होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग/महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क से छूट दी गई है।

(5) अना0/अ0पि0व0 वर्ग के अभ्यर्थी रू0 500/– का भुगतान करेगें तथा उन्हें रू0 500/– की ई–पेमेन्ट की रसीद डाकघर से प्राप्त होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग/महिला अभ्यर्थी रू0 100/– का भुगतान करेगें तथा उन्हें रू0 100/– की ई–पेमेन्ट की रसीद डाकघर से प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह अवश्य जॉच ले कि उन्हें प्राप्त ओ.एम.आर. आवेदन फार्म किट के ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र पर अंकित संख्या एवं ई–पेमेन्ट रसीद पर अंकित ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र की संख्या समान है।

(5) उत्तर प्रदेश परिमण्डल के चिन्हित डाकघरों में किट के मूल्य एवं परीक्षा शुल्क की रकम ई–पेमेन्ट द्वारा जमा करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसे आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा। ई–पेमेन्ट की मूल रसीद ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र के साथ भेजी जायेगी।

(6) एक बार जमा किया गया मूल्य/शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

(7) ओ.एम.आर. किट में एक ओ.एम.आर. आवेदन पत्र फार्म, निर्देश पुस्तिका एवं पता लिखा एक लिफाफा है।

(8) आवेदक द्वारा ओ.एम.आर. आवेदन फार्म निर्देश पुस्तिका में दी गयी जानकारी के अनुसार भरा जायेगा।

(9) ओ.एम.आर. आवेदन फार्म की फोटो प्रति अथवा ई–पेमेन्ट रसीद की फोटो प्रति स्वीकार नही की जायेगी।

(10) अभ्यर्थी कृपया यह जान ले कि ओ.एम.आर. आवेदन फार्म में वर्णित विवरण अन्तिम माना जायेगा तथा ओ.एम.आर. आवेदन फार्म भेजने के पश्चात् किसी भी दशा में उसमें कोई परिवर्तन/बदलाव/संशोधन करने की अनुमति नही दी जायेगी।

(11) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ओ.एम.आर. आवेदन फार्म के साथ ई–पेमेन्ट की मूल रसीद के अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ संलग्न न करें।

(12) बिना भरे फार्म / अधूरे फार्म / गलत भरे फार्म / बिना आवेदक के हस्ताक्षर के फार्म/ जिन ओ.एम.आर. आवेदन फार्म में कालम संख्या 21 अर्थात ई–पेमेन्ट की रसीद संख्या खाली छोड़ा गया है, / ई–पेमेन्ट की रसीद फार्म के साथ संलग्न नहीं है , ऐसे सभी ओ.एम.आर. आवेदन फार्मों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा।

(13) अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के भावी सन्दर्भ के लिये पूर्णतः भरे हुए ओ.एम.आर. आवेदन पत्र की फोटो प्रति, ओ.एम. आर. आवेदन पत्र संख्या, डाकघर से प्राप्त ई–पेमेन्ट रसीद की फोटो प्रति एवं आवेदन पत्र भेजने के लिए पजीकृत पत्र अथवा स्पीड पोस्ट की रसीद अपने पास सुरक्षित रखनी चाहिये।

(14) अभ्यर्थियों को लिफाफे के सबसे ऊपर स्पष्ट रुप से बड़े अक्षरों में उस पद का नाम जिसके लिये आवेदन कर रहे हैं लिखना चाहिये। जैसेः– **"प्रशासनिक कार्यालयों में एमटीएस पद हेतु आवेदन पत्र"** अथवा **"अधीनस्थ कार्यालयों में एम.टी.एस. पद हेतु आवेदन पत्र"** अथवा **"पोस्टमैन पद हेतु आवेदन पत्र"** अथवा **"मेल गार्ड पद हेतु आवेदन पत्र"**।

(15) **<u>आवेदन फार्म भेजने का पताः</u>**–

(i) पूर्णतः भरा हुआ **ओ.एम.आर. आवेदन पत्र**, डाकघर से ओ.एम.आर. आवेदन फार्म की किट के मूल्य एवं परीक्षा शुल्क के भुगतान के पश्चात् प्राप्त **ई. पेमेण्ट की मूल रसीद** के साथ **"डायरेक्ट रिक्रूटमेन्ट सेल, कार्यालय चीफ पोस्टमास्टर जनरल, उ0प्र0 परिमण्डल, लखनऊ–226001"** के पते पर केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाए।

(ii) हाथों–हाथ या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे तथा सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे। इसी प्रकार एक स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड लिफाफे में केवल एक आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। ऐसे मामले में जहाँ एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र होंगे तो सरसरी तौर पर सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

(16) **<u>आवेदन पत्र भेजने की अन्तिम तिथिः</u>**–

आवेदन पत्र भेजने की अन्तिम तिथि दिनांक 30.06.2015 है। आवेदक यह स्पष्ट रूप से समझ लें कि केवल दिनांक 30.06.2015 तक स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा बुक किये गये आवेदन फार्म ही स्वीकार किये जायेगें। दिनांक 30.06.2015 के पश्चात स्पीड पोस्ट/ रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा बुक किये गये आवेदन फार्म या अन्य किसी माध्यम से भेजे गये आवेदन फार्म स्वीकार नही किये जायेगें और न ही इस सम्बन्ध में किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार का कोई पत्राचार किया जायेगा।

9. **<u>परीक्षा केन्द्र</u>**

(1) पोस्टमैन/मेल गार्ड तथा एम.टी.एस. पद के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर तथा कानपुर शहरों में आयोजित किया जायेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट में भाग लेने के लिए कोई परिवहन भत्ता /दैनिक भत्ता नही दिया जायेगा।

(2) आवेदक को परीक्षा केन्द्र के लिए 3 प्राथमिकताएं देनी होगी।

(3) आवेदकों को यह स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि परीक्षा केन्द्र या शहर का आवंटन विभाग का विशेषाधिकार है तथा परीक्षा केन्द्र/शहर में किसी भी परिवर्तन के आग्रह को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नही किया जायेगा। परीक्षा केन्द्र आवेदकों की प्राथमिकता के अनुसार आवंटित किया जायेगा परन्तु आवेदको की संख्या के अनुसार आवंटन अन्य स्थानों पर भी किया जा सकता है।

(4) विभाग को किसी भी परीक्षा केन्द्र को निरस्त करने का अधिकार होगा और उस केन्द्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केन्द्र में उपस्थिति होने को कहा जा सकता है। विभाग को एक परीक्षा केन्द्र के अभ्यर्थियों को किसी दूसरे परीक्षा केन्द्र में भेजने के लिए भी अधिकार होगा।

10. **अभिवृत्ति परीक्षा (एप्टीट्यूड टेस्ट) का दिनांक, पैटर्न एवं पाठ्यक्रम :–**

(1) **एप्टीट्यूड टेस्ट की तिथि** : एप्टीट्यूड टेस्ट के आयोजन की तिथि पात्र अभ्यर्थियों को बाद में सूचित की जायेगी।

(2) अभ्यर्थियों को निम्न विषयों/प्रकरणों को समाहित करते हुए 10वीं कक्षा/मैट्रीकुलेशन स्तर की एक अभिवृत्ति (एप्टीट्यूड) परीक्षा देनी होगी।

पोस्टमैन/मेल गार्ड की सीधी भर्ती (Open Market) परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम

परीक्षा की अवधि – 120 मिनट **कुल अंक – 100**

एक प्रश्न पत्र में निम्नलिखित चार भाग होंगे :–

भाग	पाठ्यक्रम
अ. सामान्य ज्ञान (25 अंको के 25 प्रश्न, प्रत्येक 1 अंक का)	**विषय** – भूगोल, भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, संस्कृति एवं, खेल, सामान्य राजनीति एवं भारतीय संविधान, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामयिक मामले एवं 10वीं कक्षा के स्तर की तार्किक तथा विश्लेषणात्मक योग्यता।
ब. गणित (25 अंको के 25 प्रश्न, प्रत्येक 1 अंक का)	**विषय** – संख्या पद्वति, सम्पूर्ण संख्याओं का परिकलन, दशमलव तथा भिन्न, संख्याओं के मध्य संबंध, मूल गणितीय प्रयोग, प्रतिशतता, अनुपात एवं समानुपात, लाभ और हानि, साधारण व्याज, औसत, छूट, सहभागिता, समय तथा कार्य, समय एवं दूरी, टेबिल और ग्राफ का प्रयोग, मापन (मेन्सुरेशन) ।
स. (I) अंग्रेजी (25 अंको के 25 प्रश्न, प्रत्येक 1 अंक का)	Topics: Articles, Prepositions, Conjunctions, tenses, verbs, synonyms & antonyms, vocabulary, sentence structure, Proverbs, Phrases, questions from a small unseen passage etc.
स. (II) हिन्दी भाषा (25 अंको के 25 प्रश्न, प्रत्येक 1 अंक का)	**विषय** (हिन्दी के लिए) –शब्द पद, किया भेद, मिश्र एवं संयुक्त वाक्य, वाक्यों का रूपान्तरण, स्वर संन्धि, अलंकार, समास, मुहाबरे व लोकोक्तियाँ, अशुद्व वाक्य शोधन, अपठित गद्यांश

मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम.टी.एस.) की सीधी भर्ती (Open Market) परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम

परीक्षा की अवधि – 120 मिनट **कुल अंक – 100**

एक प्रश्न पत्र में निम्नलिखित चार भाग होंगे :–

अ. सामान्य ज्ञान (25 प्रश्नों के 25 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक)	**विषय** – भारतीय भूगोल, स्वतंत्रता संग्राम, संस्कृति एवं खेल, सामान्य राजनीति और भारतीय संविधान, भारतीय अर्थ व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, सामयिक मामले तथा 10वीं कक्षा के स्तर की तार्किक तथा विश्लेषणात्मक योग्यता।
ब. गणित (25 प्रश्नों के 25 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक)	**विषय** – संख्या पद्वति, दशमलव व भिन्न, प्रतिशतता, अनुपात एवं समानुपात, लाभ और हानि, साधारण व्याज, औसत, छूट, सहभागिता, समय एवं कार्य, समय एवं दूरी,।
स. (I) अंग्रेजी (25 प्रश्नों के 25 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक	Topics: Articles, Prepositions, Conjunctions, Tenses, Verbs, synonyms & antonyms, vocabulary, sentence structure, Proverbs Phrases and questions from a small unseen passage.
स. (II) हिन्दी भाषा (25 प्रश्नों के 25 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक	**विषय** (हिन्दी के लिए) – मिस्र व संयुक्त वाक्य, वाक्यों का रूपान्तरण, स्वर संन्धि, अलंकार, मुहाबरे व लोकोक्तियॉ, अशुद्व वाक्य शोधन, अपठित गद्यांश।

(3) **पोस्टमैन/मेलगार्ड अथवा मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम.टी.एस.) (प्रशासनिक कार्यालय)/मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम.टी.एस.) (अधीनस्थ कार्यालय) के एप्टीट्यूड टेस्ट में अर्हकारी अंक** :–

चयन के लिए अर्ह होने हेतु अभ्यर्थियों के लिए पोस्टमैन/मेलगार्ड अथवा मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम.टी.एस.) (प्रशासनिक कार्यालय)/ मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम.टी.एस.) (अधीनस्थ कार्यालय) के एप्टीट्यूड टेस्ट के प्रश्नपत्र के प्रत्येक भाग में अलग–अलग न्यूनतम अर्हकारी अंक एवं कुल योग में न्यूनतम अर्हकारी अंक निम्नवत् प्राप्त करना अनिवार्य है।

(I) भाग अ और ब – प्रत्येक भाग में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 10 अंक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 8 अंक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 9 अंक ।

(II) भाग स (दो उपभागों में) – प्रत्येक उपभाग में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 10 अंक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 8 अंक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 9 अंक ।

(III) कुल योग में सामान्य वर्ग के लिए 40 अंक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 33 अंक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 37 अंक ।

11. **चयन प्रकिया एवं मण्डल का आवंटन** :–

(1) चयन प्रकिया पूर्णतया मेरिट लिस्ट पर आधारित होगी जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर पोस्टमैन, मेलगार्ड, एमटीएस (प्रशासनिक कार्यालय) एवं एमटीएस (अधीनस्थ कार्यालय) संवर्गों हेतु पृथक–पृथक तैयार की जायेगी। तदानुसार प्रत्येक संवर्ग हेतु संपूर्ण उत्तर प्रदेश परिमण्डल में उस संवर्ग की समेकित रिक्तियों के लिए एक मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी।

(2) आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी एप्टीट्यूड टेस्ट में समान अंक प्राप्त करते हैं और वे मेरिट लिस्ट के अन्तिम पायदान पर हैं तो यह स्पष्ट रुप से समझ लेना चाहिये कि वह अभ्यर्थी जो आयु में ज्येष्ठ होगा, उसके चयन पर विचार किया जायेगा।

(3) चयनित अभ्यर्थी को मण्डल का आवंटन मेरिट लिस्ट में उसकी स्थिति एवं आवेदन फार्म में उसके द्वारा दी गयी प्राथमिकताओं के अनुसार तथा मण्डल में रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें मेरिट लिस्ट में उनकी स्थिति को कारण उनकी प्राथमिकता के अनुसार मण्डल का आवंटन प्राप्त नही हो सकेगा, उन्हें उस मण्डल का आवंटन किया जायेगा जहॉ पर रिक्तियां शेष होगी।

(4) यदि कोई अभ्यर्थी ओ.एम.आर. आवेदन फार्म के कॉलम संख्या 23 में 'मण्डल' के लिये अपना/अपनी प्राथमिकता नहीं भरता है तो यह माना जायेगा कि वह उ0प्र0 परिमण्डल के सभी मण्डलों/ईकाइयों के लिये समान रुप से आवेदन कर रहा/रही है, तथा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार किसी भी मण्डल में उसकी भर्ती पर विचार किया जायेगा।

12. **अन्य महत्वपूर्ण निर्देश** :–

(1) चयनित अभ्यर्थियों की दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्ति की जायेगी।

(2) (अ) बिन्दु 3 पर उल्लेखित विवरण के अनुसार सभी रिक्त पदों का वर्गीकरण दो प्रकार की सेवाओं में किया गया है। पोस्टमैन एवं मेलगार्ड पद 'अराजपत्रित अनुसचिवीय' सेवाओं तथा मल्टी टास्किंग स्टाफ (प्रशासनिक कार्यालय अथवा अधीनस्थ कार्यालय) पद 'अराजपत्रित अननुसचिवीय' सेवाओं के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है, तथा दोनों वर्गीकृत सेवाओं के पदों हेतु एप्टीट्यूड टेस्ट दो विभिन्न तिथियों में आयोजित की जायेंगी।
(ब) पोस्टमैन एवं मेलगार्ड पदों के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन एक ही दिनांक और समय पर किया जायेगा। अतः एक अभ्यर्थी या तो पोस्टमैन पद के लिए अथवा मेलगार्ड पद के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट में सम्मिलित हो सकता है। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे या तो पोस्टमैन के पद के लिए अथवा मेल गार्ड पद के लिए ओ.एम.आर.

आवेदन पत्र में आवेदन करें। पुनः यह भी सूचित किया जाता है कि एक आवेदन पत्र एक पद के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है।

(स) एम.टी.एस. (प्रशासनिक कार्यालय) एवं एम.टी.एस.(अधीनस्थ कार्यालय) पदों के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन एक ही दिनांक और समय (जो पोस्टमैन/मेलगार्ड पद के लिए आयोजित होने वाले एप्टीट्यूड टेस्ट की तारीख से भिन्न होगी) पर किया जायेगा। अतः एक अभ्यर्थी या तो एम.टी.एस.(प्रशासनिक कार्यालय) अथवा एम.टी.एस.(अधीनस्थ कार्यालय) पद के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट में सम्मिलित हो सकता है। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे या तो एम.टी.एस. (प्रशासनिक कार्यालय) के पद के लिए अथवा एम.टी.एस. (अधीनस्थ कार्यालय) पद के लिए ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में आवेदन करें। पुनः यह भी सूचित किया जाता है कि एक आवेदन पत्र एक पद के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है।

(3) आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अभिवृत्ति (एप्टीट्यूड) टेस्ट की तारीख, एडमिट कार्ड, रिजल्ट एवं अन्य सूचनाओं की अद्यतन जानकारी के लिए भारतीय डाक विभाग की वेबसाईट **www.indiapost.gov.in** समय–समय पर देखते रहें।

13. **सेना डाक सेवा में सेवा प्रदान करने की अपेक्षा** – उल्लिखित पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति होने पर वह भारत या विदेश में जैसा भी अपेक्षित होगा, कार्य करने का पात्र होगा।

14. **शिथिल करने की शक्ति** – जहॉ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहॉ उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्व करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

15. ***व्यावृत्ति*** – *इस नोटिफिकेशन की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और व्यावृत्ति उन रियायतों पर प्रभाव* नही डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियां, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

15-5-15

(हिमांशु कुमार मिश्र)
सहायक निदेशक (भर्ती)
कार्या0 चीफ पोस्टमास्टर जनरल,
उ0 प्र0 परिमण्डल, लखनऊ–226001

शिड्यूल–ए

मण्डल/कार्यालयों मे उपलब्ध रिक्तियों का विवरण

पोस्टमैन संवर्ग

क्रम संख्या	मण्डल/कार्यालय का नाम	वर्टिकल आरक्षण					हॉरिजंटल आरक्षण			
		कुल रिक्तियाँ	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	शा0वि0–I (बी/एल.वी)	शा0वि0–II (एच.एच.)	शा0वि0–III (ओ.ए./ओ.एल.)	भू0पू0 सैनिक
	आगरा परिक्षेत्र									
1	आगरा मंडल	45	24	0	0	21	0	1	0	5
2	अलीगढ़ मंडल	19	9	0	1	9	0	0	1	2
3	बुलंदशहर मंडल	14	11	3	0	0	0	0	0	1
4	एटा मंडल	14	8	3	0	3	0	0	0	1
5	इटावा मंडल	19	10	5	0	4	0	0	0	2
6	झाँसी मंडल	14	8	3	0	3	0	0	0	1
7	मथुरा मंडल	19	13	4	0	2	0	0	0	2
8	मैनपुरी मंडल	12	7	2	0	3	0	0	0	1
योग		**156**	**90**	**20**	**1**	**45**	**0**	**1**	**1**	**15**
	इलाहाबाद परिक्षेत्र									
1	इलाहाबाद मंडल	24	19	2	1	2	0	1	0	2
2	गाजीपुर मंडल	7	4	1	0	2	0	0	0	1
3	जौनपुर मंडल	3	3	0	0	0	0	0	0	0
4	मिरजापुर मंडल	9	6	2	1	0	0	0	0	1
5	प्रतापगढ़ मंडल	3	2	0	0	1	0	0	0	0
6	वाराणसी (पूर्व) मंडल	14	10	3	0	1	1	0	0	1
7	वाराणसी (पश्चिम) मंडल	7	4	2	0	1	0	0	0	1
योग		**67**	**48**	**10**	**2**	**7**	**1**	**1**	**0**	**6**
	बरेली परिक्षेत्र									
1	बरेली मंडल	17	8	4	0	5	1	0	1	2
2	बिजनौर मंडल	8	4	2	1	1	0	0	0	1
3	बदायूँ मंडल	7	4	1	1	1	0	0	0	1
4	हरदोई मंडल	7	4	1	0	2	0	0	0	1
5	खीरी मंडल	7	5	0	0	2	0	0	0	1
6	मेरठ मंडल	31	15	6	1	9	1	1	0	3
7	मुरादाबाद मंडल	21	12	4	0	5	0	1	1	2
8	मुजफ्फरनगर मंडल	9	6	3	0	0	0	0	0	1
9	सहारनपुर मंडल	5	4	1	0	0	0	0	0	0
10	शाहजहाँपुर मंडल	6	3	1	0	2	0	0	0	0
योग		**118**	**65**	**23**	**3**	**27**	**2**	**2**	**2**	**12**
	गोरखपुर परिक्षेत्र									
1	गोरखपुर मंडल	8	5	2	0	1	0	0	0	1
2	आजमगढ़ मंडल	13	10	3	0	0	0	0	1	1
3	बहराइच मंडल	6	3	2	0	1	0	0	0	1
4	बलिया मंडल	5	4	0	0	1	0	0	0	0
5	बस्ती मंडल	6	4	1	0	1	0	0	0	1
6	गोण्डा मंडल	5	3	1	0	1	0	0	0	0
योग		**43**	**29**	**9**	**0**	**5**	**0**	**0**	**1**	**4**

कानपुर परिक्षेत्र										
1	बांदा मंडल	3	2	1	0	0	0	0	0	0
2	फतेहगढ़ मंडल	7	6	0	1	0	0	0	0	1
3	फतेहपुर मंडल	2	2	0	0	0	0	0	0	0
4	कानपुर सिटी मंडल	17	14	3	0	0	1	0	0	2
5	कानपुर प्रधान डाक घर	12	8	2	0	2	0	0	0	1
6	कानपुर (मु.) मंडल	11	8	1	0	2	0	0	0	1
योग		**52**	**40**	**7**	**1**	**4**	**1**	**0**	**0**	**5**
लखनऊ परिक्षेत्र										
1	बाराबंकी मंडल	5	3	1	0	1	0	0	0	0
2	फैजाबाद मंडल	14	8	3	0	3	1	0	1	2
3	लखनऊ मंडल	35	26	6	1	2	0	0	1	4
4	लखनऊ जी.पी.ओ.	11	5	2	1	3	0	0	0	1
5	गाजियाबाद मंडल	77	61	4	0	12	1	1	0	8
6	सीतापुर मंडल	6	6	0	0	0	0	0	0	1
7	सुलतानपुर मंडल	7	3	2	1	1	0	0	0	1
8	रायबरेली मंडल	11	6	4	0	1	0	1	0	1
योग		**166**	**118**	**22**	**3**	**23**	**2**	**2**	**2**	**18**
महा योग		**602**	**390**	**91**	**10**	**111**	**6**	**6**	**6**	**60**

मेलगार्ड संवर्ग

क्रम संख्या	मण्डल/कार्यालय का नाम	वर्टिकल आरक्षण					हॉरिजंटल आरक्षण			
		कुल रिक्तियाँ	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	शा0वि0-I (बी/एल.वी)	शा0वि0-II (एच.एच.)	शा0वि0-III (ओ.ए./ओ.एल.)	भू0पू0 सैनिक
1	आर.एम.एस. 'ए' मंडल, इलाहाबाद	*8*	*5*	*0*	*0*	*3*	*0*	*0*	*0*	*1*
2	आर.एम.एस. 'बी.एल.' मंडल, बरेली	*1*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	आर.एम.एस. 'जी' मंडल, गोरखपुर	*3*	*2*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	आर.एम.एस. 'के.पी' मंडल, कानपुर	*3*	*2*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	आर.एम.एस. 'ओ' मंडल, लखनऊ	*1*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	आर.एम.एस. 'एस एच' मंडल, सहारनपुर	*2*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	आर.एम.एस. 'एक्स' मंडल, झाँसी	*2*	*1*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*
योग		*20*	*12*	*1*	*0*	*7*	*0*	*0*	*0*	*1*

अधीनस्थ कार्यालयों मे एम.टी.एस. संवर्ग (डाकघर)

क्रम संख्या	मण्डल/कार्यालय का नाम	वर्टिकल आरक्षण					हॉरिजंटल आरक्षण			
		कुल रिक्तियाँ	अनारक्षित	अ जा	अ.ज.जा	अ.पि.व	शा0वि0-I (बी/एल.वी)	शा0वि0-II (एच.एच.)	शा0वि0-III (ओ.ए./ओ.एल.)	भू0पू0 सैनिक
आगरा परिक्षेत्र										
1	आगरा मंडल	*4*	*2*	*0*	*1*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	अलीगढ़ मंडल	*6*	*3*	*0*	*0*	*3*	*0*	*0*	*0*	*1*
3	बुलंदशहर मंडल	*6*	*4*	*1*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*1*
4	एटा मंडल	*1*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	इटावा मंडल	*5*	*3*	*1*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	झाँसी मंडल	*1*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	मथुरा मंडल	*4*	*1*	*1*	*0*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	मैनपुरी मंडल	*4*	*2*	*1*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*
योग		***31***	***17***	***4***	***1***	***9***	***0***	***0***	***0***	***2***

14-5-15

इलाहाबाद परिक्षेत्र										
1	इलाहाबाद मंडल	5	3	0	0	2	1	0	0	2
2	गाजीपुर मंडल	1	0	0	0	1	0	0	0	0
3	जौनपुर मंडल	2	2	0	0	0	0	0	0	0
4	मिरजापुर मंडल	8	3	3	0	2	0	0	0	1
5	प्रतापगढ़ मंडल	1	1	0	0	0	0	0	0	0
6	वाराणसी (पूर्व) मंडल	6	5	0	0	1	0	0	0	0
7	वाराणसी (पश्चिम) मंडल	2	2	0	0	0	0	0	0	0
योग		**25**	**16**	**3**	**0**	**6**	**1**	**0**	**0**	**3**
बरेली परिक्षेत्र										
1	बरेली मंडल	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	बिजनौर मंडल	3	1	2	0	0	0	0	0	0
3	बदायूँ मंडल	2	2	0	0	0	0	0	0	0
4	हरदोई मंडल	3	3	0	0	0	0	0	0	0
5	मेरठ मंडल	6	4	0	1	1	0	1	0	1
6	मुरादाबाद मंडल	7	4	1	0	2	0	0	0	1
7	मुजफ्फरनगर मंडल	2	1	1	0	0	0	0	0	0
8	सहारनपुर मंडल	1	1	0	0	0	0	0	0	0
9	शाहजहाँपुर मंडल	1	1	0	0	0	0	0	0	0
योग		**26**	**18**	**4**	**1**	**3**	**0**	**1**	**0**	**2**
गोरखपुर परिक्षेत्र										
1	आजमगढ़ मंडल	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	बहराइच मंडल	2	1	0	0	1	0	0	0	0
3	बलिया मंडल	1	1	0	0	0	0	0	0	0
4	बस्ती मंडल	4	4	0	0	0	0	0	0	0
5	देवरिया मंडल	1	1	0	0	0	0	0	0	0
6	गोण्डा मंडल	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7	गोरखपुर मंडल	1	1	0	0	0	0	0	0	0
योग		**11**	**10**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
कानपुर परिक्षेत्र										
1	बांदा मंडल	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	फतेहगढ़ मंडल	1	1	0	0	0	0	0	0	0
3	फतेहपुर मंडल	2	1	0	0	1	0	0	0	0
4	कानपुर सिटी मंडल	3	3	0	0	0	0	0	0	0
5	कानपुर प्रधान डाक घर	7	5	0	0	2	0	0	1	1
6	कानपुर (मु.) मंडल	3	2	1	0	0	0	0	0	0
7	एम.एम.एस. कानपुर	3	3	0	0	0	0	0	0	1
योग		**20**	**16**	**1**	**0**	**3**	**0**	**0**	**1**	**2**
लखनऊ परिक्षेत्र										
1	फैजाबाद मंडल	4	3	0	0	1	0	0	0	1
2	गाजियाबाद मंडल	3	3	0	0	0	0	0	0	1
3	लखनऊ मंडल	4	3	0	0	1	0	0	0	1
4	रायबरेली मंडल	3	2	1	0	0	0	0	0	0
5	सुलतानपुर मंडल	2	1	0	1	0	0	0	0	0
योग		**16**	**12**	**1**	**1**	**2**	**0**	**0**	**0**	**3**
महा योग		**129**	**89**	**13**	**3**	**24**	**1**	**1**	**1**	**12**

14-5-15

अधीनस्थ कार्यालयों मे एम.टी.एस. संवर्ग (आर.एम.एस.)											
क्रम संख्या	मण्डल/कार्यालय का नाम	वर्टिकल आरक्षण					हॉरिजंटल आरक्षण				
		कुल रिक्तियाँ	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	शा0वि0-I (बी/एल.वी)	शा0वि0-II (एच.एच.)	शा0वि0-III (ओ.ए./ओ. एल.)	भू0पू0 सैनिक
1	आर.एम.एस. 'ए' मंडल, इलाहाबाद	14	7	0	2	5	0	1	0	1
2	आर.एम.एस. 'बी.एल.' मंडल, बरेली	16	4	3	2	7	0	0	0	2
3	आर.एम.एस. 'जी' मंडल, गारखपुर	10	5	3	0	2	0	0	0	0
4	आर.एम.एस. 'के.पी' मंडल, कानपुर	27	14	5	1	7	1	0	0	3
5	आर.एम.एस. 'ओ' मंडल, लखनऊ	18	8	4	0	6	0	1	0	2
6	आर.एम.एस. 'एस एच' मंडल, सहारनपुर	31	12	8	0	11	0	0	1	4
7	आर.एम.एस. 'एक्स' मंडल, झाँसी	23	9	4	1	9	0	0	0	2
योग		**139**	**59**	**27**	**6**	**47**	**1**	**2**	**1**	**14**

प्रशासनिक कार्यालयों मे एम.टी.एस. संवर्ग										
क्रम संख्या	मण्डल/कार्यालय का नाम	वर्टिकल आरक्षण					हॉरिजंटल आरक्षण			
		कुल रिक्तियाँ	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	शा0वि0-I (बी/एल.वी)	शा0वि0-II (एच.एच.)	शा0वि0-III (ओ.ए./ओ. एल.)	भू0पू0 सैनिक
1	उ0 प्र0 परिमण्डल कार्यालय, लखनऊ	6	5	0	0	1	0	0	0	1
2	आगरा परिक्षेत्र कार्यालय, आगरा	2	2	0	0	0	0	0	0	0
3	इलाहाबाद परिक्षेत्र कार्यालय, इलाहाबाद	1	1	0	0	0	0	0	0	0
4	कानपुर परिक्षेत्र कार्यालय, कानपुर	1	0	0	0	1	0	0	0	0
5	पी.टी.सी सहारनपुर	9	3	2	1	3	0	0	0	2
6	पी.एस.एफ.एस. अलीगढ़	14	9	0	0	5	0	0	0	0
7	पी.एस.डी. इलाहाबाद	6	5	1	0	0	0	0	0	0
8	पी.एस.डी. लखनऊ	3	3	0	0	0	0	0	0	0
योग		**42**	**28**	**3**	**1**	**10**	**0**	**0**	**0**	**3**

(अना0–अनारक्षित, अ0जा0–अनुसूचित जाति, अ0ज0जा0–अनुसूचित जनजाति, अ0पि0व0–अन्य पिछड़ा वर्ग, शा0वि0–शारीरिक विकलांग, बी–ब्लाइंड (अंधापन), एल.वी.–लो विजन(कम दृष्टि), एच.एच.–हियरिंग हैण्डीकैप्ड (कम सुनाई देने की निःशक्तता), ओ.ए. –वन आर्म (एक बांह से प्रभावित), ओ.एल.–वन लेग (जिनका एक पैर खराब हो), भू0पू0 सैनिक– भूतपूर्व सैनिक

14-5-15

शिड्यूल–बी

कम संख्या	मण्डल का नाम	डाकघर का नाम	स्थिति (प्रधान डाकघर/उपडाकघर)	पिनकोड
1	आगरा	आगरा प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	282001
2		आगरा फोर्ट प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	282003
3		बाह उपडाकघर	उपडाकघर	283104
4		फतेहाबाद बाजार उपडाकघर	उपडाकघर	283111
5		खैरागढ उपडाकघर	उपडाकघर	283121
6	अलीगढ़	अलीगढ़ प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	202001
7		हाथरस उपडाकघर	उपडाकघर	204101
8		खैर उपडाकघर	उपडाकघर	202138
9		सिकन्दराराव उपडाकघर	उपडाकघर	204215
10	मथुरा	मथुरा प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	281001
11		छाता उपडाकघर	उपडाकघर	281401
12		मंत उपडाकघर	उपडाकघर	281202
13		सादाबाद उपडाकघर	उपडाकघर	281306
14	झाँसी	झाँसी प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	284001
15		उरई प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	285001
16		ललितपुर प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	284403
17		मोठ उपडाकघर	उपडाकघर	284303
18		मऊरानीपुर	उपडाकघर	284204
19		जालौन उपडाकघर	उपडाकघर	285123
20	एटा	एटा प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	207001
21		कासगंज उपडाकघर	उपडाकघर	207123
22		अलीगंज उपडाकघर	उपडाकघर	207247
23		जलेसर उपडाकघर	उपडाकघर	207302
24	इटावा	इटावा प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	206001
25		औरैया प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	206122
26		जसवंत नगर उपडाकघर	उपडाकघर	206245
27		सैफई उपडाकघर	उपडाकघर	206130
28	मैनपुरी	मैनपुरी प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	205001
29		फिरोजाबाद प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	283203
30		शिकोहाबाद उपडाकघर	उपडाकघर	283135
31		टुंडला उपडाकघर	उपडाकघर	283204
32	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	203001
33		खुर्जा प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	203131
34		अनुपशहर उपडाकघर	उपडाकघर	203390
35		सिकन्दराबाद उपडाकघर	उपडाकघर	203205
36	इलाहाबाद	इलाहाबाद प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	211001
37		इलाहाबाद कचहरी प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	211002
38		मंझनपुर उपडाकघर	उपडाकघर	212207
39		फूलपुर उपडाकघर	उपडाकघर	212402
40		हांडिया उपडाकघर	उपडाकघर	221503
41		मेजा उपडाकघर	उपडाकघर	212302
42		जसरा उपडाकघर	उपडाकघर	212107
43	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़ प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	230001
44		रानीगंज उपडाकघर	उपडाकघर	230304
45		लालगंज उपडाकघर	उपडाकघर	230132
46		कुंडा उपडाकघर	उपडाकघर	230204

47	वाराणसी पूर्व	वाराणसी प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	221001
48		चंदौली उपडाकघर	उपडाकघर	232104
49		सकलडीहा बाजार उपडाकघर	उपडाकघर	232109
50	वाराणसी पश्चिम	वाराणसी कैण्ट प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	221002
51		भदोही उपडाकघर	उपडाकघर	221401
52		ज्ञानपुर उपडाकघर	उपडाकघर	221304
53	गाजीपुर	गाजीपुर प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	233001
54		जमनिहा उपडाकघर	उपडाकघर	232329
55		मोहम्मदाबाद यूसुफपुर उपडाकघर	उपडाकघर	233227
56		सैदपुर उपडाकघर	उपडाकघर	233304
57	जौनपुर	जौनपुर प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	222001
58		जौनपुर कचहरी उपडाकघर	उपडाकघर	222002
59		मढ़ियाहू बाजार उपडाकघर	उपडाकघर	222161
60		शाहगंज उपडाकघर	उपडाकघर	223101
61		बदलापुर उपडाकघर	उपडाकघर	222125
62	मिर्जापुर	मिर्जापुर प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	231001
63		रार्बट्सगंज उपडाकघर	उपडाकघर	231216
64		चुनार प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	231304
65	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	251001
66		खतौली उपडाकघर	उपडाकघर	251201
67		जनसथ उपडाकघर	उपडाकघर	251314
68		शामली उपडाकघर	उपडाकघर	247776
69	बिजनौर	विजनौर प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	246701
70		धामपुर उपडाकघर	उपडाकघर	246761
71		नजीबाबाद उपडाकघर	उपडाकघर	246763
72		चॉदपुर उपडाकघर	उपडाकघर	246725
73	हरदोई	हरदोई प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	241001
74		विलग्राम उपडाकघर	उपडाकघर	241301
75		शाहाबाद उपडाकघर	उपडाकघर	241124
76	बरेली	बरेली प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	243001
77		पीलीभीत प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	262001
78		बहेड़ी उपडाकघर	उपडाकघर	243201
79		ऑवला उपडाकघर	उपडाकघर	243301
80		नबाबगंज उपडाकघर	उपडाकघर	262406
81		फरीदपुर उपडाकघर	उपडाकघर	243503
82	बदायूँ	बदायूं प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	243601
83		भिल्सी उपडाकघर	उपडाकघर	243633
84		बिसौली उपडाकघर	उपडाकघर	243720
85		डाटागंज उपडाकघर	उपडाकघर	243635
86	खीरी	खीरी प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	262701
87		गोला गोकरननाथ उपडाकघर	उपडाकघर	262802
88		पलिया उपडाकघर	उपडाकघर	262902
89	मेरठ	मेरठ कैण्ट प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	250001
90		मेरठ सिटी प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	250002
91		बड़ौत प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	250611
92		सरधना उपडाकघर	उपडाकघर	250342

93	मुरादाबाद	मुरादाबाद प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	244001
94		बिलारी उपडाकघर	उपडाकघर	244411
95		सम्भल उपडाकघर	उपडाकघर	244302
96		रामपुर प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	244901
97		अमरोहा प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	244221
98	सहारनपुर	सहारनपुर प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	247001
99		बेहट उपडाकघर	उपडाकघर	247121
100		रामपुर उपडाकघर	उपडाकघर	247451
101		देवबंध उपडाकघर	उपडाकघर	247554
102	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर प्रधानडाकघर	प्रधान डाकघर	242001
103		तिलहर उपडाकघर	उपडाकघर	242307
104		जलालाबाद उपडाकघर	उपडाकघर	242221
105	गोरखपुर	गोरखपुर प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	273001
106		महराजगंज उपडाकघर	उपडाकघर	273303
107		कैम्पियरगंज उपडाकघर	उपडाकघर	273158
108	देवरिया	देवरिया प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	274001
109		पडरौना प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	274304
110		सलेमपुर उपडाकघर	उपडाकघर	274509
111	आजमगढ़	आजमगढ़ प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	276001
112		मऊ प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	275101
113		मधुबन उपडाकघर	उपडाकघर	221603
114	बलिया	बलिया प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	277001
115		रसरा प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	221712
116		बांसडीह रोड उपडाकघर	उपडाकघर	277203
117	बस्ती	बस्ती प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	272001
118		बॉसी प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	272153
119		डुमरियागंज उपडाकघर	उपडाकघर	272189
120		खलीलाबाद उपडाकघर	उपडाकघर	272175
121	गोण्डा	गोण्डा प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	271001
122		बलरामपुर प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	271201
123		मनकापुर बाजार उपडाकघर	उपडाकघर	271302
124		उथरौला उपडाकघर	उपडाकघर	271604
125	बहराइच	बहराइच प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	271801
126		नानपारा उपडाकघर	उपडाकघर	271865
127		कैसरगंज उपडाकघर	उपडाकघर	271903
128	कानपुर सिटी	कानपुर कैण्ट प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	208004
129	बॉदा	बॉदा प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	210001
130		हमीरपुर प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	210301
131		कर्वी उपडाकघर	उपडाकघर	210205
132		महोबा उपडाकघर	उपडाकघर	210427
133	फतेहगढ़	फरूखाबाद उपडाकघर	उपडाकघर	209625
134		कायमगंज उपडाकघर	उपडाकघर	209502
135		कन्नौज उपडाकघर	उपडाकघर	209725
136		छिबरामऊ उपडाकघर	उपडाकघर	209721
137	कानपुर प्रधान डाकघर	कानपुर प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	208001

138	फतेहपुर	फतेहपुर प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	212601
139		खागा उपडाकघर	उपडाकघर	212655
140		बिन्दकी उपडाकघर	उपडाकघर	212635
141	कानपुर देहात	उन्नाव प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	209801
142		अकबरपुर उपडाकघर	उपडाकघर	209101
143		घाटमपुर उपडाकघर	उपडाकघर	209206
144		बीघापुर उपडाकघर	उपडाकघर	209865
145	लखनऊ	लखनऊ चौक प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	226003
146		बक्शी का तालाब उपडाकघर	उपडाकघर	226201
147		मलिहाबाद उपडाकघर	उपडाकघर	226102
148		मोहनलालगंज उपडाकघर	उपडाकघर	226301
149	लखनऊ जी.पी.ओ.	लखनऊ जी0पी0ओ0	जी0पी0ओ0	226001
150	गाजियाबाद	गाजियाबाद प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	201001
151		नोएडा प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	201301
152		हापुड़ प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	245101
153		मोदीनगर उपडाकघर	उपडाकघर	201204
154	सुलतानपुर	सुलतानपुर प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	228001
155		अमेठी प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	227405
156		कादीपुर उपडाकघर	उपडाकघर	228145
157		मुसाफिरखाना उपडाकघर	उपडाकघर	227813
158		लम्भुआ उपडाकघर	उपडाकघर	222302
159	सीतापुर	सीतापुर प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	261001
160		सिधौली उपडाकघर	उपडाकघर	261303
161		महमूदाबाद उपडाकघर	उपडाकघर	261203
162		बिंसवा उपडाकघर	उपडाकघर	261201
163		मिश्रिख उपडाकघर	उपडाकघर	261401
164	बाराबंकी	बाराबंकी प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	225001
165		हैदरगढ़ उपडाकघर	उपडाकघर	225124
166		राम सनेही घाट उपडाकघर	उपडाकघर	225409
167		तहसील फतेहपुर उपडाकघर	उपडाकघर	225305
168	रायबरेली	रायबरेली प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	229001
169		महाराजगंज उपडाकघर	उपडाकघर	229306
170		लालगंज उपडाकघर	उपडाकघर	229206
171		तिलोई उपडाकघर	उपडाकघर	229309
172	फैजाबाद	फैजाबाद प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	224001
173		अकबरपुर प्रधान डाकघर	प्रधान डाकघर	224122
174		रूदौली उपडाकघर	उपडाकघर	224120
175		टांडा उपडाकघर	उपडाकघर	224190

Schedule – C शेड्यूल – सी 15-3/c

APPENDIX-3

(1)

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

[G.I., Dept. of Per. & Trg., O.M. No. 36036/2/2013-Estt. (Res.), dated 30-5-2014]

This is to certify that Shri / Smt. / Kumari ...., son / daughter of ...., of village / town .... in District / Division .... in the State / Union Territory .... belongs to the .... community which is recognized as a Backward Class under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No. ...., dated ....*. Shri / Smt. / Kumari .... and / or his / her family ordinarily reside(s) in the .... District / Division of the .... State / Union Territory. This is also to certify that he / she does not belong to the persons / sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel and Training, O.M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT), dated 8-9-1993**.

District Magistrate,
Deputy Commissioner, etc.

Dated:

SEAL

The authorities competent to issue caste certificates are indicated below:—

(*i*) District Magistrate / Additional Magistrate / Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Deputy Collector / First Class Stipendiary Magistrate / Sub-Divisional Magistrate / Taluka Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner (not below the rank of First Class Stipendiary Magistrate).

(*ii*) Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate.

(*iii*) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar; and

(*iv*) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family resides.

---

* The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

** As amended from time to time.

NOTE.— The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

Schedule-D शेड्यूल-डी 15-4/c

APPENDIX-2

FORM OF CERTIFICATE PRESCRIBED

Form of Certificate as prescribed in M.H.A., O.M. No. 42/21/49-N.G.S., dated 28-1-1952, as revised in Dept. of Per. & A.R., Letter No. 36012/6/76-Estt. (S.C.T.), dated 29-10-1977, to be produced by a candidate belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe in support of his claim.

FORM OF CASTE CERTIFICATE

This is to certify that Shri/Shrimathi*/Kumari* .... Son/ daughter* of .... of village/town* .... in District/ Division* .... of the State/Union Territory* .... belongs to the ....

Caste/Tribe* which is recognized as a Scheduled Caste / Scheduled Tribe*

under:

The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.

*The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.

*The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951.

*The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951.

[(As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification Order) 1956, the Bombay Reorganization Act, 1960, the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North-Eastern Areas (Reorganization) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976.]

*The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956;

*The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976;

*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962;

*The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962;

*The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964;

* Please delete the words which are not applicable.

Schedule-E शेड्यूल-ई 15-5/c

(3) APPENDICES

APPENDIX-1

DISABILITY CERTIFICATE

(*a*) **ANNEXURE – I to O.M., dated 29-12-2005**

NAME AND ADDRESS OF THE INSTITUTE / HOSPITAL

Certificate No. .... Date ....

Recent Photograph of the candidate showing the disability duly attested by the Chairperson of the Medical Board

This is certified that Shri / Smt. / Kum. .... son / wife / daughter of Shri .... age .... sex .... identification mark(s) .... is suffering from permanent disability of following category:—

A. Locomotor or cerebral palsy:

(*i*) BL-Both legs affected but not arms.

(*ii*) BA-Both arms affected (*a*) Impaired reach (*b*) Weakness of grip

(*iii*) BLA-Both legs and both arms affected

(*iv*) OL-One leg affected (right or left) (*a*) Impaired reach (*b*) Weakness of grip (*c*) Ataxic

(*v*) OA-One arm affected (*a*) Impaired reach (*b*) Weakness of grip (*c*) Ataxic

(*vi*) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)

(*vii*) MW-Muscular weakness and limited physical endurance.

B. Blindness or Low Vision :

(*i*) B-Blind

(*ii*) PB-Partially Blind

C. Hearing impairment :

(*i*) D-Deaf

(*ii*) PD-Partially Deaf

(Delete the category, whichever is not applicable)

2. This condition is progressive / non-progressive / likely to improve / not likely to improve. Re-assessment of this case is not recommended / is recommended after a period of .... years .... months.*

3. Percentage of disability in his / her case is .... per cent.

4. Sh. / Smt. / Kum. .... meets the following physical requirements for discharge of his / her duties:—

(*i*)	F-can perform work by manipulating with fingers.	Yes / No
(*ii*)	PP-can perform work by pulling and pushing.	Yes / No
(*iii*)	L-can perform work by lifting.	Yes / No
(*iv*)	KC-can perform work by kneeling and crouching.	Yes / No
(*v*)	B-can perform work by bending.	Yes / No
(*vi*)	S-can perform work by sitting.	Yes / No
(*vii*)	ST-can perform work by standing.	Yes / No
(*viii*)	W-can perform work by walking.	Yes / No
(*ix*)	SE-can perform work by seeing.	Yes / No
(*x*)	H-can perform work by hearing / speaking.	Yes / No
(*xi*)	RW-can perform work by reading and writing.	Yes / No

(Dr. ....)	(Dr. ....)	(Dr. ....)
Member	Member	Chairperson
Medical Board	Medical Board	Medical Board

Countersigned by the
Medical Superintendent / CMO /
Head of Hospital (with seal)

* Strike out which is not applicable.

(*i*) B-Blind

(*ii*) PB-Partially Blind

15-6/c.

शिड्यूल एफ

उ0प्र0 परिमण्डल के मण्डलों/कार्यालयों की कोड लिस्ट

क्रम संख्या	मण्डल/कार्यालय का नाम	कोड		क्रम संख्या	मण्डल/कार्यालय का नाम	कोड
1	आगरा मंडल	3001		34	फतेहगढ़ मंडल	3034
2	अलीगढ़ मंडल	3002		35	फतेहपुर मंडल	3035
3	बुलंदशहर मंडल	3003		36	कानपुर सिटी मंडल	3036
4	एटा मंडल	3004		37	कानपुर प्रधान डाक घर	3037
5	इटावा मंडल	3005		38	कानपुर (मु.) मंडल	3038
6	झाँसी मंडल	3006		39	एम.एम.एस. कानपुर	3039
7	मथुरा मंडल	3007		40	बाराबंकी मंडल	3040
8	मैनपुरी मंडल	3008		41	फैजाबाद मंडल	3041
9	इलाहाबाद मंडल	3009		42	लखनऊ मंडल	3042
10	गाजीपुर मंडल	3010		43	लखनऊ जी.पी.ओ	3043
11	जौनपुर मंडल	3011		44	गाजियाबाद मंडल	3044
12	मिरजापुर मंडल	3012		45	सीतापुर मंडल	3045
13	प्रतापगढ़ मंडल	3013		46	सुलतानपुर मंडल	3046
14	वाराणसी (पूर्व) मंडल	3014		47	रायबरेली मंडल	3047
15	वाराणसी (पश्चिम) मंडल	3015		48	आर.एम.एस. 'ए' मंडल, इलाहाबाद	3048
16	बरेली मंडल	3016		49	आर.एम.एस. 'बी.एल.' मंडल, बरेली	3049
17	बिजनौर मंडल	3017		50	आर.एम.एस. 'जी' मंडल, गोरखपुर	3050
18	बदायूँ मंडल	3018		51	आर.एम.एस. 'के.पी' मंडल, कानपुर	3051
19	हरदोई मंडल	3019		52	आर.एम.एस. 'ओ' मंडल, लखनऊ	3052
20	खीरी मंडल	3020		53	आर.एम.एस. 'एस एच' मंडल, सहारनपुर	3053
21	मेरठ मंडल	3021		54	आर.एम.एस. 'एक्स' मंडल, झाँसी	3054
22	मुरादाबाद मंडल	3022		55	उ0 प्र0 परिमण्डल कार्यालय, लखनऊ	3055
23	मुजफ्फरनगर मंडल	3023		56	आगरा परिक्षेत्र कार्यालय, आगरा	3056
24	सहारनपुर मंडल	3024		57	इलाहाबाद परिक्षेत्र कार्यालय, इलाहाबाद	3057
25	शाहजहाँपुर मंडल	3025		58	बरेली परिक्षेत्र कार्यालय, बरेली	3058
26	गोरखपुर मंडल	3026		59	गोरखपुर परिक्षेत्र कार्यालय, गोरखपुर	3059
27	आजमगढ़ मंडल	3027		60	कानपुर परिक्षेत्र कार्यालय, कानपुर	3060
28	बहराइच मंडल	3028		61	पी.टी.सी सहारनपुर	3061
29	बलिया मंडल	3029		62	पी.एस.एफ.एस. अलीगढ़	3062
30	बस्ती मंडल	3030		63	पी.एस.डी. इलाहाबाद	3063
31	गोण्डा मंडल	3031		64	पी.एस.डी. बरेली	3064
32	देवरिया मंडल	3032		65	पी.एस.डी. लखनऊ	3065
33	बांदा मंडल	3033				

14-5